न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—123/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/123)

1. प्रहलाद पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. हंजा पत्नि बीरमदेव जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. आशादेवी पत्नि सुन्दरदास
3. कमलादेवी पत्नि रमेशचन्द
4. खुशी पत्नि राजकुमार
5. गोविन्दराम पुत्र छबलदास
6. मीनादेवी पत्नि होतचन्द
7. शीलादेवी पत्नि रेखचन्द समस्त जातिगण सिंधी निवासी 3074, पलसानिया रोड, नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 18/2023.

उपस्थितः—

1. श्री नवीन कुमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8

निर्णय

दिनांकः—09.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता ने राजीनामा पेश कर विभाजन की सहमति दी। उक्त वादपत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1.4.2024 को पारित करते हुए स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी रेस्पोडेंट को कानूनी जानकारी नहीं होने से उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत दिनांक 7.5.2024 को सूचना दी गई तो उक्त आदेश मुतनाजा की जानकारी हुई तत्पश्चात अपने अभिभाषक से संपर्क किया तो उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। जिस कारण उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराशय नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुऐ अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट को कानूनी जानकारी नहीं होने से उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत दिनांक 7.05.2024 को सूचना दी गयी तो उक्त आदेश मुतनाजा की जानकारी हुई तत्पश्चात अपने अभिभाषक से संपर्क किया तो उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी। उक्त भूमि पर काबिज काश्त अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मिलीभगत कर वादीगण से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो कि अपीलार्थी के हितो पर बातिल व बेअसर है। जिससे उक्त विधि विरूद्ध तरीके से किये गये अपीलाधीन निर्णय को खारिज किया जावें। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया गया एंव कब्जे बाबत कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी एंव रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल की पालना नहीं की गयी। जिसके कारण उपरोक्त उनवानी अपील स्वीकार करने योग्य हैं। प्रतिवादी/अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड है एंव जिसमे कब्जे बाबत पुश्तैनी समय से अपीलार्थीगण का ही कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा था केवल मात्र फर्जी विक्रय पत्र व बिना साक्ष्य दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाए ही उक्त वाद डिक्री किया गया। प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 से 44 के पूर्वज अमरा उक्त भूमि के दर्ज रिकार्ड खातेदार/काश्तकार थे उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी भी तथ्य एवं दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया गया तथा प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम व प0म0 दिलवाडा के खाता संख्या 325/305 किता 10 रकबा 1.1740 की आराजी वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का अलग अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता ने राजीनामा पेश कर विभाजन की सहमति दी। उक्त वादपत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1.4.2024 को पारित करते हुए स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय दिनांक 1.4.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं रही व हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत दिनांक 7.5.2024 को सूचना दी गई तो उक्त आदेश की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी 2071–2074 ग्राम दिलवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के खाता संख्या 325 नया खाता संख्या 305 पुराना अनुसार विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त जमाबंदी अनुसार अपीलांट का हिस्सा 26/387, रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 का विवादित आराजीयात बाबत 5/36 हिस्सा है व रेस्पोडेंट संख्या 1 का 77/774 हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात का विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे की डिक्री जमाबंदी में दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार किए जाने हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया था। अतः रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश कर भी विभाजन किए जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट अनुपस्थित रहे थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद बाबत विभाजन स्वीकार किया गया व तहसीलदार नसीराबाद को आदेश दिए गए कि ग्राम व प0म0 दिलवाडा के खाता संख्या 325/305 किता 10 रकबा 1.1740 की आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त खातेदारों के मध्य तैयार किए जाने का आदेश दिया गया। जो कि विधिवत रूप से उचित है जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। उनके द्वारा किए गए निर्णय में किसी का हक हिस्सा प्रभावित नहीं किया गया है चूंकि उक्त वाद बंटवारे बाबत प्रस्तुत किया गया था उनके द्वारा नियमों की पालना करते हुए बंटवारे बाबत तहसीलदार नसीराबाद को आदेश दिए गए है। जिसमें किसी प्रकार की न्यायिक व तकनीकि त्रुटि कारित नहीं किए जाने से न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09/5/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ. 41 रूल35 जाप्ता दिवानी)

Civil Procedure Code, Appendix "C"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

प्रहलाद पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

बनाम

हंजा पत्नि बीरमदेव जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 123/2024 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद मुबर्खे 01 माह 04 सन् 2024 प्रकरण संख्या 18/2023 बउनवानी आशा देवी बनाम हंजा वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,राज0 काश्त0 अधि.

यह अपील ब तारीख 09 माह 05 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री नवीन कुमार गुर्जर,अभिभाषक अपीलांट,श्री सीताराम रावत रेस्पो संख्या 01, श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पों संख्या 02 से 07,श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 08,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः–अपील अपीलांटस खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 18/2023 पारित निणर्य दिनांक 01.04.2024 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक --. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करे।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 09 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

(मोहर: राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर — सत्यमेव जयते)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोंडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner